न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या 18/2014

उनवान

बाबूसिह बनाम लादूसिह व अन्य

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 20.1..2020

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकिल उपस्थित । जिन्हे राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामांतकरण संख्या 77 जो सरपंच ग्राम पंचायत हाथीखेडा अजमेर द्वारा दिनांक 10.11.2014 को स्वीकृत किया गया पर सुना गया । अपीलान्ट अभिभाषक ने दौरान बहस मे निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा एक वाद वास्ते उदघोषणा एवं स्थायी निषेघाज्ञा मय धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय कें समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 18.7.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद संख्या 78/2014 एवं अस्थायी निषेघाज्ञज्ञ प्रार्थना पत्र संख्या 72/2014 दर्ज किया गया जो आज दिनांक तक माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है साथ ही यह निवेदन है कि उपरोक्त दिनांक 18.7.2014 को एक अन्य बाबू पुत्र मोती (मोती पुत्र लाला) जाति रावत निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया जिसको संख्या 77/2014 पर दर्ज करते हुए विपक्षीगण कोनोटिस जारी किए गए । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद एवं अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये वादो के शीर्षक एवं पक्षकार एक समान होने तथा वादग्रस्त आराजीयात एक ही गांव की होने से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 77 तस्दीक किया गया । जबकि दोनो वादो में वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नम्बरान पृथक–पृथक है । वादी संख्या 78/2014 बउनवान बाबू पुत्र हालू (हालू पुत्र देवा) बनाम लादू गेरह में अकित आराजीयात वर्किग खसरा नम्बर 2156 रकबा 1–0–0 आधार खसरानम्बर 2093/2757 रकबा 0.16 वाद संख्या 77/2014 बउनवानी बाबू पुत्र मोती (मोती पुत्र लाला) बनाम लादू वगेरह में अंकित आराजियात वर्किग खसरा नम्बर 2157 रकबा 0–15–00 आ.ख.नं. 2093 रकबा 0.12 वर्किग खसरानम्बर 2158 रकबा 1–10–0 आ.खसरानम्बर 2094 मि. रकबा 0.24 कि कि रेस्पो. द्वारा वाद संख्या 78/2014 में लम्बित रहते वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 2093/2757 रकबा 0.16 का गेर कानूनी रूप से विक्रय कर अपने नाम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 77 स्वीकृत करवा लिया । ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या

Scanned by CamScanner

77 दिनांक 10.11.2014 विरूद्व न्याय नियम एवं रिकार्ड होकर काबिल निरस्त योग्य है। वर्किंग जमाबंदी सन्2041 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 29.2.96 को तहसीलदार अजमेर के आदेशानुसार बाबूसिह पुत्र हालू कौम रावत साकिन देह के नाम हक खातेदारी से दर्ज होना स्वीकार किया गया । तत्सयम से अपीलांट उपरोक्त आराजीयात पर बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है ल`किन दौराने बन्दोबस्त कार्यवाही भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजीयात को आधारभूत खसरा संख्या 2093/2757 रकबा 0.16 हैक्टयर मुर्तिब किये गये, जो वर्तमान में रेस्पो0 के पिता के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि उपरोक्त आराजीयात पर रेस्पो. के पिता कभी भी कब्जा काश्त नही रहा एवं भू संशोधन के समय रेस्पो0 के पिता का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन राजस्व् कर्मचारीयों ने मृतक के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से खातेदारी दर्ज कर दी है अतः उक्त सम्पर्ण आराजीयात पर वादी को खातेदार घोषित करने हेतु उक्त वाद संख्या 78/2014 प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। वाद संख्या 78/2014 में लिप्त आराजीयात वादग्रस्त खसरा संख्या 2093/2757 के विचाराधीन रहते हुए रेस्पो. द्वारा गैर कानूनी रूप से दिनांक 24.7.2014 को जरिये पंजिकृत विकय पत्र में अन्य आराजीयात जो कि वाद संख्या 77/2014 में विचाराधीन थी जिसके खसरा संख्या 2094 व 2093 है के साथ अंकित करते हुए वाद संख्या 77/2014 को विड्रो करते हुए उक्त आराजियात का पंजियन अप्रार्थी संख्या 4 के नाम करवा दिया गया । उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते हुए ग्राम पंचायत हाथीखेडा को यह पूण्र जानकारी थी कि उक्त विवादित आराजीयात बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है लेकिन वाद संख्या 77/2014 जो कि दिनांक 27.8.2014 को विड्रो कर लिया गया था, की आड में वाद संख्या 78/2014 में अंकित आराजीयात का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 10.11.2014 निरस्त फरमा कर वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया जाकर अधिकार अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट एक लगायत 5 नोटिस पर तामिली कुलन्दे की रिपोर्ट अकित है कि लेने से इन्कार व दो गवाहन के हस्ताक्षर अंकित होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट स्वयं द्वारा विवादित भूमि के सबंध में राजस्व वाद संख्या 77/2014 न्यायालय हाजा के समक्ष बाबू सिह बनाम लादू सिह शीर्षक से विचाराधीन होना स्वीकार किया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा निष्पाद्वित विकय पत्र दिनांक 24.7.2014 की वैधता को मूल वाद के तहत निर्णित किया जा सकता है तथा पक्षकार के हक अधिकार का निर्णय भी मूल वाद के तहत सम्भव है । वर्तमान

Scanned by CamScanner

अपील नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जो की एक समरी कार्यवाही है। अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील के तहत वर्णित आधारो को मूल वाद संख्या 77/2014 के तहत प्रस्तुत कि जाने की स्वत्रंता के साथ वर्तमान अपील उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त किये जाने योग्य है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.01.23 11:13:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: